राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 हरेन्द्र पुत्र चुनाराम 2 धन्नाराम पुत्र चुनाराम जातियान जाट निवासी साडोकण तहसील व जिला नागौर।		1 चुनाराम पुत्र सांवताराम 2 मुन्नी पत्नी स्व. रामकैलाश 3 अजीत पुत्र स्व. रामकैलाश 4 मनीषा पुत्री स्व. रामकैलाश प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 नबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नी पत्नी स्व. रामकैलाश निवासीगण साडोकण तहसील व जिला नागौर । 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

दावा राजस्व मुकद्दमा 05/2016 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी.................

............................मिनजानिब मुद्दई व ....

.........मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है वादी संख्या 1 हरेन्द्र के बंट कब्जा काश्त खातेदारी खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौजा साडोकण में से 1/2 यानि 34 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा के पूर्व व पश्चिम के बीच का हिस्सा घोषित किया जाता है।

वादी सख्या 2 धन्नाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौजा साडोकण में से 1/2 यानि 34 बीघा 15 बिस्वा रखा गया इसमें से आधा खेत के पूर्वी तरफ व आधा पश्चिमी तरफ घोषित किया जाता है।

यह है कि, प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में सरहद मौजा पिथासिया के खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा रखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम का राजस्व रेकर्ड मे 1/2 हिस्सा मौजा पिथासिया के खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में वर्तमान में दर्ज हेा रखा है और 1/2 हिस्से पर ही प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है अन्य खातेदारो को किसी प्रकार की 1/2 हिस्से पर काबिज होने बाबत कोई आपति नही है।

यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी मे खसरा नम्बर 18 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा मोजा साडोकण पूरा रखा गया। जो उनकी के खातेदारी में दर्ज है।

.... लीज..मुबलिक......

....बाबत्................................खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर................................

...................................फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..

को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..............................माह................................

....सन् 20...

दस्तखत..........
ओहदा.........

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 05/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 हरेन्द्र पुत्र चुनाराम 2 धन्नाराम पुत्र चुनाराम जातियान जाट निवासी साडोकण तहसील व जिला नागौर।		1 चुनाराम पुत्र सांवताराम 2 मुन्नी पत्नी स्व. रामकैलाश 3 अजीत पुत्र स्व. रामकैलाश 4 मनीषा पुत्री स्व. रामकैलाश प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 नबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नी पत्नी स्व. रामकैलाश निवासीगण साडोकण तहसील व जिला नागौर । 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।
वाद अधीन धारा 88,53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 30.05.2016

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायदां पुत्रगण है व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 वादीगण के सगे भाई स्व. रामकैलाश के वारीसान है पक्षकारान का एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार रहा है।

2 यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की सहकब्जे काश्त व पुश्तेनी खातेदारी की अविभाजित भूमि सरहद मौजा साडोकण तहसील नागौर के खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 18 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा तथा ग्राम पीथासिया तहसील नागौर की सरहद में खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा स्थित है नकल खतोनीयां साथ पेश है। सरहद मौजा पीथासिया के उक्त खसरा नम्बर 25 व 90 में 1/2 हिस्सा ही वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 4 का निहित है तथा शेष 1/2 हिस्सा दीगर खातेदारो का है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान वादीगण के दादा सांवताराम से प्राप्त भूमि है इस बाबत संवत 2026 से 2030 व 2031 से 2034 की नकल खतोनी भी वाद के साथ पेश है।

3 यह है कि, वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की अविभाजित पुश्तेनी भूमि होने से वादीगण का जन्म से विधिनुसार हक हिस्सा निहितत करता है चूकि वादीगण के सगे भाई रामकैलाश का स्वर्गवास हो चुका है जिससे उसके हिस्से की भूमि में उसके वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का हिस्सा निहित करता है यानि वादीगण प्रत्येक का 1/4 –1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा उक्त आराजी में निहित करता है अभी तक भौतिक विभाजन नही हुआ है।

4 यह है कि पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने अपनी सहमति, सुविधानुसार व स्वेच्छा से उक्त आराजी का संवत 2070 की आखातीज को मोखिक बंटवाड़ा कर अलग अलग काबिज हो गये जो बंटवाड़ा स्कीम निम्न अनुसार है :–

क. वादी संख्या 1 हरेन्द्र के बंट कब्जा काश्त खातेदारी खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौजा साडोकण में से 1/2 यानि 34 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा के पूर्व व पश्चिम के बीच का हिस्सा रखा गया।

ख. वादी सख्या 2 धन्नाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौजा साडोकण में से 1/2 यानि 34 बीघा 15 बिस्वा रखा गया इसमें से आधा खेत के पूर्वी तरफ व आधा पश्चिमी तरफ रखा गया।

ग. यह है कि, प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में सरहद मौजा पिथासिया के खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा रखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम का राजस्व रेकर्ड मे 1/2 हिस्सा मौजा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

पिथासिया के खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में वर्तमान में दर्ज हेा रखा है और 1/2 हिस्से पर ही प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है अन्य खातेदारो को किसी प्रकार की 1/2 हिस्से पर काबिज होने बाबत कोई आपति नही है।

घ. यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी मे खसरा नम्बर 18 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा मोजा साडोकण पूरा रखा गया। इस खसरा की खातेदारी भी प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के नाम से ही है। वादीगण के दादा सावताराम के नाम से खसरा नम्बर 18 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी थी जो वादीगण के भाई रामकैलाश के नाम सीधी दर्ज करवा दी रामकैलाश की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के नाम जरिये फोतगी नामान्तरण दर्ज्र हो गयी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ही काबिज है।

5 यह है कि पक्षकारान के उपरोक्त अनुसार मौखिक बंटवाड़ा हो रखा हैं, अब पक्षकारान का परिवार अलग अलग हो गया है लेकिन भोतिक विभाजन होकर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त अनुसार अलग अलग खातेदारी इन्द्राज नही होने से वादीगण को अपने बंट की भूमि का सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलने व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने व वादीगण का नाम रेकर्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण बिना विधिवत विभाजन करवाये भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से यह वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, विभाजन हेतू पेश करने का वादहेतूक सरहद मौजा साडोकण व पिथासिया तहसील नागौर में पैदा हुआ।

6 यह है कि वादग्रस्त खेताय सरहद मौजा साडोकण व पिथासिया तहसील नागौर में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

7 यह है कि वाद हाजा में भूमिधारी तहसीलदार नागौर आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर वाद हाजा पेश किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तरफ से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद सम्मन तामील गरै हाजर रहने से दिनांक 23.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम की खातेदारी में दर्ज है एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की सहखातेदारी में दर्ज है एवं खसरा नम्बर 25, 90 पतासी पत्नी मांगीलाल, संगीता पुत्री मांगीलाल एवं पुना पुत्र सांवताराम की सहखातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त खेताय पक्षकारान के पुश्तेनी एवं सहखातेदारी के खेताय रेकर्ड से साबित है।

उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

क. वादी संख्या 1 हरेन्द्र के बंट कब्जा काश्त खातेदारी खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौजा साडोकण में से 1/2 यानि 34 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा के पूर्व व पश्चिम के बीच का हिस्सा घोषित किया जाता है।

ख. वादी सख्या 2 धन्नाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी खसरा नम्बर 673 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौजा साडोकण में से 1/2 यानि 34 बीघा 15 बिस्वा रखा गया इसमें से आधा खेत के पूर्वी तरफ व आधा पश्चिमी तरफ घोषित किया जाता है।

ग. यह है कि, प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में सरहद मौजा पिथासिया के खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा रखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 चुनाराम का राजस्व रेकर्ड मे 1/2 हिस्सा मौजा पिथासिया के खसरा नम्बर 25 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में वर्तमान में दर्ज हेा रखा है और 1/2 हिस्से पर ही प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है अन्य खातेदारो को किसी प्रकार की 1/2 हिस्से पर काबिज होने बाबत कोई आपति नही है।

घ. यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी मे खसरा नम्बर 18 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा मोजा साडोकण पूरा रखा गया। जो उनकी के खातेदारी में दर्ज है। इसी अनुसार डिक्री

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

पर्चा जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.), नागौर

निर्णय दिनांक 30.05.2016 को मेरे द्वारा मजमे आम में लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.), नागौर